भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 270

विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

जुलाई, 2017

डा.न्यायमूर्ति बलबीर चौहान
पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Dr. Justice B. S. Chauhan
Former Judge Supreme Court of India
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)309/2017-एल.सी.(एल.एस.)[1]

तारीख : 04 जुलाई, 2017

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

विधि कार्य विभाग ने विधायी विभाग के अनुरोध को आयोग से आग्रह करते हुए विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तारीख 16 फरवरी, 2017 को अग्रेनित किया । विधि निर्माताओं और न्यायपालिका के अथक प्रयासों के बावजूद बाल विवाह, द्वि-विवाह और लिंग हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में व्याप्त हैं । पूर्व आयोगों ने भी इन मुद्दों पर विचार किया और ऐसी बुराइयों के उन्मूलन के लिए सिफारिशें कीं । सरकार से प्राप्त नवीनतम प्रतिनिर्देश के आधार पर, इस आयोग ने विस्तार से वि-नय पर अध्ययन किया और **"विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण"** शी-र्नक की अपनी रिपोर्ट सं. 270 तैयार किया जिसे सरकार द्वारा विचारार्थ भेजा जा रहा है ।

आयोग रिपोर्ट तैयार करने में डा. सौम्या सक्सेना और सुश्री अनुमेह मिश्र, परामर्शी द्वारा दी गई उनकी प्रशंसनीय सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

[1] निवास : 7-ए, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली

रिपोर्ट सं. 270
विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

वि-नय-सूची

अध्याय	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना और पृ-ठभूमि	4
2.	विवाह रजिस्ट्रीकरण : वैश्विक विहंगावलोकन	8
3.	विवाह रजिस्ट्रीकरण : भारतीय विधायी अवसंरचना	11
4.	न्यायिक निर्णय	19
5.	भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों पर पुनर्विचार	22
6.	विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय विधान की आवश्यकता	25
7.	सूचना प्रौद्योगिकी - समर्थित रजिस्ट्रीकरण की संभाव्यता	31
8.	नि-क-र्ष और सिफारिशें	32

अध्याय 1
प्रस्तावना और पृ-ठभूमि

1.1 स्वतंत्रता से अब तक, लिंग असमानता के मुद्दे से संबंधित कई पहल किए गए । अब तक किए गए सुधार पहले काफी हद तक सफल रहे, तथापि, ऐसे आचरणों को प्रतिषिद्ध करने और दंडित करने के विधानों के बावजूद हमारे समाज में बाल विवाह, द्वि-विवाह और लिंग हिंसा हो रही हैं ।[1] पक्षकारों के वैवाहिक प्रास्थिति के बारे में न्यायालयों के समक्ष कई विवाद लंबित हैं ।[2] विधिमान्य विवाह को सिद्ध करने वाले अभिलेख के अभाव के कारण महिलाओं को प्रायः पत्नी की हैसियत से वंचित होना पड़ता है । न्यायालयों ने विवाह बंधन से उद्भूत महिलाओं और बच्चों की हैसियत से इनकार करने को रोकने के लिए बारंबार विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने पर बल दिया ।[3]

1.2 हाल ही में विवाह कपट की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं । अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के अभाव में, महिलाओं को विधिमान्य विवाह की शर्तों के पालन के बिना विवाह करके प्रवंचित किया जा रहा है । यह महिलाओं को सामाजिक मान्यता और विधिक सुरक्षा से वंचित करता है । ऐसे कपटपूर्ण विवाह की संख्या विशे-कर अनिवासी भारतीयों के बीच बढ़ रही है ।[4] अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण यह सुनिश्चित करने का साधन हो सकती है कि विधिमान्य विवाह की शर्तें पूरी की गई हैं ।

1.3 जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 में कतिपय वर्ग के लोगों के लिए ही जन्म और मृत्यु के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है और भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के अधीन विवाह के प्रभावी रजिस्ट्रीकरण का भी उपबंध है । उक्त अधिनियमों का पुनरीक्षण और संशोधन समय-समय पर स्वतंत्रता के पश्चात् किया गया है ।

1.4 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशे-न विवाह अधिनियम, 1954, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 और भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 जैसी विभिन्न विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के उपबंध विद्यमान हैं फिर भी ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो सभी विवाहों के अभिलेख रखने का उपबंध करता हो और धर्म, क्षेत्र या रूढ़ि के बावजूद देश के किसी और सभी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो ।

1.5 विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का अधिकथन करता है किंतु अधिनियम का आशय प्राथमिकतः दंपति को स्वीय विधियों से बाहर निकलने में समर्थ बनाना है किंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि दंपति धर्म से बाहर निकल गए हैं । इसका सामान्य अर्थ यह है कि धर्म

---

[1] "30 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 व-र् से कम उम्र में" द इंडियन एक्सप्रेस (31 मई, 2016).

[2] कुटुम्ब न्यायालय में लंबित विवाहों से संबंधित मामलों में केरल राज्य सबसे ऊपर है, द इंडियन एक्सप्रेस (8 जनवरी, 2017).

[3] कनागवल्ली बनाम सरोज, ए. आई. आर. 2002 मद्रा. 73 देखें ।

[4] ऐसे कपटपूर्ण विवाह को ध्यान में रखते हुए, पंजाब विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012 द्वारा पंजाब ने विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनया ।

का इस अधिनियम के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई महत्व नहीं है ।

1.6 यद्यपि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1969 का पुरःस्थापन विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को सम्मिलित करने के लिए था किंतु यह सभी नागरिकों को समावि-ट नहीं किया । ये संशोधन केवल ईसाइ समुदाय को ही लागू होते हैं और यह पुनः रा-ट्रीय विधान नहीं बन सका ।

1.7 भारत ने 30 जून, 1980 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद के उन्मूलन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया और 7 जुलाई, 1993 को इसे पु-ट किया । इसके पश्चात्, भारत से महिलाओं के विरुद्ध विभेद के उन्मूलन पर समिति (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रत्याशित था । पहली रिपोर्ट 1998 को प्रस्तुत की गई । चौथी और पांचवीं संयुक्त सावधिक रिपोर्टें 2012 में प्रस्तुत की गई । समिति ने व-र्ा 2014 में इस रिपोर्ट के पैरा 39 पर अपनी समापन विचारों में भारत से सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करते हुए, शीघ्र ही विधान अधिनियमित करने का आग्रह किया और साथ ही साथ कन्वेंशन के अनुच्छेद 16(2) की अपनी घो-णा को वापस लेने पर विचार करने का अनुरोध किया ।

1.8 कन्वेंशन का अनुच्छेद 16 ''विवाह और कुटुम्ब संबंधों में समता'' के बारे में है । समिति ने भारत में विवाह और कुटुम्ब संबंधों से संबंधित बहुल विधिक व्यवस्थाओं के सह-अस्तित्व के बारे में पैरा 40 में अपनी चिंता व्यक्त की जो विभिन्न धार्मिक समुहों को लागू होती हैं और जिनके परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध घोर और लगातार विभेद होता है ।

1.9 रा-ट्रीय महिला आयोग ने 1886 के अधिनियम में संशोधन की ईप्सा करते हुए विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2005 का प्रारुप तैयार कर विवाहों के अरजिस्ट्रीकरण से उद्भूत अनेक समस्याओं के ठोस उपाय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

1.10 व-र्ा 2007 में महिला अधिकारिता समिति ने एन.सी.डब्ल्यू. के विधेयक का अवलंब लेते हुए, यह मत व्यक्त किया कि धर्म की परवाह किए बिना विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाए ।[5] रिपोर्ट में ऐसी भारतीय महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला जिनके पति, अनेक मामलों में द्वितीय विवाह होने के पूर्व अपने विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया या अपनी पूर्व पत्नियों को छोड़ दिया और उनके भरण-पो-ण आदि से इनकार कर रहे हैं । अतः, समिति ने यह इच्छा व्यक्ति की कि सरकार प्रक्रिया सरल, सुलभ और पहुंच योग्य बनाकर सभी विवाहों का रजिस्ट्रीकरण आज्ञापक बनाएगी ।

1.11 व-र्ा 2006 में, उच्चतम न्यायालय ने **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार और अन्य**[6] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया कि ऐसे सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं और विभिन्न धर्मानुयायी हैं के विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण उनके संबद्ध राज्यों में किया जाए जहां विवाह संपन्न हुआ हो । आगे, जब कभी केंद्रीय सरकार एक व्यापक कानून का अधिनियमन करे तो यह न्यायालय के समक्ष संवीक्षा के लिए रखा जाएगा । निर्णय ने रा-ट्रीय महिला आयोग द्वारा पेश विधेयक को भी विनिर्दि-ट किया ।

---

[5] महिला सशक्तिकरण समिति (2006-2007), प्रवासी भारतीय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (चौदहवीं लोकसभा) अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दशा पर रिपोर्ट (अगस्त, 2007) ।

[6] 2006 (2) एस. सी. सी. 578.

1.12 फरवरी, 2008 में भारत के अठारहवें विधि आयोग ने ''बाल विवाह प्रति-ोध अधिनियम, 2006 और अन्य संबद्ध विधियों के संशोधन का प्रस्ताव'' शी-र्क की अपनी 205वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सभी समुदायों अर्थात् हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण नियत अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक रूप से किया जाए ।

1.13 इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपनी 211वीं रिपोर्ट[7] में संपूर्ण भारत और सभी नागरिकों को लागू बनाए जाने के लिए ''विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम'' के अधिनियमन का प्रस्ताव किया था । तदनुसार, उसने यह सिफारिश की थी कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 को निरसित किया जाए और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 को पुनः ''जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012'' के रूप में नामित किया जाए ।

1.14 व-र्ा 2012 में, दूसरा विधेयक तैयार किया गया और उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए संसद् के पटल पर रखा गया । इस विधेयक को पक्षकारों के धार्मिक संप्रदायों की परवाह किए बिना विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 को संशोधित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया ।

1.15 2012 का संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पारित किया गया । तथापि, उक्त विधेयक को लोकसभा में विचारार्थ नहीं लिया जा सका और 21 फरवरी, 2014 को 15वीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया । राज्यसभा से निर्देश पर विधेयक पर विचार करते हुए, स्थायी समिति ने यह आशा व्यक्त की कि विधेयक द्विविवाह संबंधों पर प्रभावी रोक लगाने के अलावा भरण-पो-ण और सांपत्तिक अधिकारों के मामलों में महिलों का संरक्षण करने के लिए मील के पत्थर के रूप में कार्य करेगा ।

1.16 पूर्ववर्ती विधेयक के आधार पर विधायी विभाग में जन्म और मृत्यु (संशोधन) विधेयक, 2015 पर नये सिरे से प्रारुप विधेयक तैयार किया । विधि कार्य विभाग ने अपने पत्र तारीख 16 फरवरी, 2017 द्वारा विधायी विभाग से प्राप्त अनुरोध को विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में परीक्षा करने और रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह करते हुए विधि आयोग को अग्रे-ित किया जो इस प्रकार है :–

(i) क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 के अनुसार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जाए या केंद्रीय और राज्य स्वीय विधियों सहित सभी विधियों में एकरूपता लाने के लिए विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए पृथक अकेले विधान पर विचार किया जाए ;

(ii) क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25), पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1963 (1963 का 3) और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) सहित केंद्रीय विधियों में संशोधनों की अपेक्षा है ;

---

[7] ''विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण की विधियां - समेकन और सुधार का प्रस्ताव'', भारत के विधि आयोग की 211वीं रिपोर्ट (अक्तूबर, 2008)

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी का सभी विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का सामर्थ्य ;

(iv) ऐसे अन्य वि-नय जिन्हें आवश्यक समझा जाए ।

1.17 यह रिपोर्ट अपनी परिधि के भीतर विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को सम्मिलित करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के संशोधन का प्रस्ताव करती है । संक्षेप में इसके अंतर्गत विवाह में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी रूप या रीति में किसी विधि या प्रथा या रूढ़ि के अधीन किसी जाति या धर्म या जनजाति के दम्पति के बीच संपन्न हुआ विवाह या पुनर्विवाह सहित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत विवाह आता है ।

1.18 वस्तुतः, विवाह का रजिस्ट्रीकरण पहले से ही ऐसे विद्यमान विधियों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता करेगा जिनका लक्ष्य बाल विवाह, आदि का निवारण करना है । यह शीघ्र और बलात् विवाह जैसी प्रथाओं को दूर करने में भी सहायक होगा ।[8] यह लिंग समता प्राप्त करने और महिलाओं को सशक्त करने में सहायक हो सकता है ।

1.19 सिफारिश का लक्ष्य स्वीय विधियों की विविधता को समाप्त करना नहीं है बल्कि विवाह के संपन्न किए जाने से संबंधित व्याप्त प्रथाओं/या स्वीय विधियों को स्वीकार करता है ; बशर्ते ये विवाह जन्म, मृत्यु और विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं । रिपोर्ट का लक्ष्य विभिन्न राज्य विधियों के अधीन विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के विद्यमान उपबंधों को अकृत्य करना नहीं है ।

[8] देखिए, "बाल विवाह, समाज और विधि : पश्चिमी बंगाल, भारत के ग्रामीण संदर्भ में अध्ययन" , 25(2) इंटरनेशनल जर्नल आफ ला, पॉलिसी एंड फेमली 199(2011), विश्वजीत घो-न ।

अध्याय 2
विवाह रजिस्ट्रीकरण : वैश्विक विहंगावलोकन

2.1 संयुक्त रा-ट्र संघ ने जन्म, मृत्यु और विवाह जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के अभिलेख सृजित करने के महत्व को मान्यता प्रदान की है । नागरिकों के लिए ऐसी सिविल रजिस्ट्री कर सृजन ऐसे विधिक दस्तावेज के सृजन का प्रयोजन पूरा करता है जिसका उपयोग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और स्थापित करने के लिए किया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप, एक डाटाबेस का भी सृजन होता है जिसमें महत्वपूर्ण और सुसंगत जीवन घटनाओं के महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं । संयुक्त रा-ट्र संघ सिविल रजिस्ट्रीकरण को इस प्रकार परिभाि-नत करती है [9] :–

> जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के होने और लक्षण के सतत, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक अभिलेखन जैसा देश के विधिक अपेक्षाओं के अनुसार डिक्री या विनियम के द्वारा उपबंधित है । प्राथमिकतः सिविल रजिस्ट्रीकरण विधि द्वारा अपेक्षित विधिक दस्तावेजों को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है । ये अभिलेख भी महत्वपूर्ण आकड़ों के मुख्य स्रोत हैं । सिविल रजिस्ट्रीकरण का संपूर्ण कवरेज, यर्थाथता और समयबद्धता महत्वपूर्ण आंकडों की गुणता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ।

2.2 तथापि, भारतीय संदर्भ में मुख्य आंकड़ों का अनुरक्षण प्राधिकार द्वारा अभिलेख रक्षण का एकमात्र प्रयोजन पूरा नहीं करता । कई तरीकों से यह सामाजिक विधानों को प्रभावी रूप से प्रवृत्त करने के लिए समर्थ बनाता है । कतिपय देशों में, विनिर्दि-टतः 'कुटुम्ब' घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विनिर्दि-ट रजिस्टर भी हैं ।

2.3 विभिन्न देशों में इस रजिस्टर को 'कुटुम्ब एलबम', 'घरेलू रजिस्टर' आदि कहा गया है । कई देशों में विवाह जैसे व्यक्ति की हैसियत या कुटुम्ब संबंधी घटनाओं को शासकीय मान्यता तभी दी जाती है जब ऐसी सभी घटनाओं को कुटुम्ब या सिविल रजिस्टर में रिपोर्ट और रजिस्ट्रीकृत किया जाता है । उदाहरणार्थ, जापान विवाह को तभी विधिक रूप से प्रभावी मानता है जब घरेलू रजिस्टर घटनाओं की जानकारी के साथ नवीनतम किया जाता है - इसे 'कोशेकी' के रूप में जाना जाता है । तथापि, अन्य देशों में ऐसे रजिस्टर कुटुम्ब की घटनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करते हैं जिनका विधिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह और बहि-करण की भी

---

[9] "सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली" , : https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/civilreg/ पर उपलब्ध (18 जून, 2017 को अंतिम बार देखा गया)

घटनाएं सम्मिलित हैं जैसा जर्मनी में है जहां रजिस्टर को 'फेमीलियनबुच' के नाम से जाना जाता है और फ्रांस जहां इसे 'लिवरेट डे फेमीली' कहा जाता है । तथापि, यह ऐसी घटनाओं के लिए एक मात्र शासकीय मान्यता का स्रोत नहीं है ।

2.4 विवाह का रजिस्ट्रीकरण सभी देशों में अनिवार्य नहीं हैं । तथापि, अधिकांश देश ऐसे रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हैं ।

2.5 दक्षिणी अफ्रीका में, विवाह की विधियां, विवाह अधिनियम, 1961 में अधिकथित की । अरजिस्ट्रीकरण विवाह की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता और विवाह का रजिस्ट्रीकरण विवाह बंधन के पश्चात् ही किया जा सकता है । जहां सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विवाह प्रमाण-पत्र विवाह के अस्तित्व के प्रथमदृ-ट्या सबूत का प्रयोजन पूरा करता है वहीं विवाह के अस्तित्व को अन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है । इसी प्रकार, आस्ट्रेलियन विवाह अधिनियम, 1961 की धारा 8 विवाह के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करती है ।

2.6 बंगलादेश का मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1974 में भी ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया का उपबंध है जिसके द्वारा संपन्न सभी विवाहों को रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए और अरजिस्ट्रीकरण साधारण कारावास जिसे बढ़ाकर दो व-र् तक किया जा सकेगा या तीन हजार टका तक जुर्माने या दोनों से दंडनीय है ।[10]

2.7 पाकिस्तान में, मुस्लिम विधि के अधीन संपन्न प्रत्येक विवाह का मुस्लिम कुटुम्ब विधि अध्यादेश, 1961 के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है । मार्च, 2017 में हिंदू विवाह विधेयक के पारित होने के पश्चात् पाकिस्तान के हिंदुओं से भी अपने विवाह रजिस्ट्रीकृत कराना अपेक्षित है ।

2.8 टर्की में, विवाह के रजिस्ट्रीकरण पर कोई विशि-ट विधि नहीं है किंतु विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष सिविल समारोह के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है । यह अपेक्षा 1962 में अधिनियमित

---

[10] अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार है : " (1) जहां विवाह स्वयं निकाह रजिस्ट्रार द्वारा संपन्न किया जाता है वह तत्काल विवाह को रजिस्टर करेगा

(2) जहां विवाह निकाह रजिस्ट्रार से भिन्न व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है वहां विवाह का वर ऐसे संपन्न किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबद्ध निकाह रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन निकाह रजिस्ट्रार को विवाह के संपन्न होने की सूचना दी जाती है, वह तत्काल विवाह को रजिस्टर करेगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, अपराध करता है और वह ऐसी अवधि जो दो व-र् तक हो सकेगी के साधारण कारावास से और जुर्माने से जो 3000/- टका तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

टर्की सिविल कोड से उद्‌भूत है, जिसे टर्किस सिविल कोड (2001) द्वारा संशोधित किया गया था ।

2.9 इंडोनेशिया में, 1974 की विवाह विधि का अनुच्छेद 2 पैरा 2 में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध । श्रीलंका में, मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद, 1951 (1 अगस्त, 1954 को प्रख्यापित) के अधीन संपन्न विवाह को उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा है ।[11]

2.10 लोक प्राधिकारी के समक्ष विवाह संपन्न किए जाने और रजिस्ट्रीकृत किए जाने तथा विवाह के सबूत के ग्राह्य साधन के रूप में केवल विवाह का प्रमाण-पत्र की अपेक्षा विभिन्न देशों के सिविल संहिताओं में भी उपबंध उपलब्ध है । उदाहरणार्थ :–

1. फ्रेंच सिविल कोड - अनुच्छेद 165 से 169
2. इटेलियन सिविल कोड - अनुच्छेद 106, 107 और 130
3. सिविल कोड आफ ब्राजील - अनुच्छेद 1533 और 1534
4. 1966 का पुर्तगीस सिविल कोड - अनुच्छेद 1615, 1616, 1651 और 1653
5. सिविल कोड आफ क्यूबेक - अनुच्छेद 365 और 378

[11] अधिनियम की धारा 17(1) इस प्रकार है : "इसमें व्यक्त उपबंध के सिवाए, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् मुस्लिमों के बीच हुए सभी विवाह संबद्ध निकाह समारोह के समाप्ति पर तत्काल यहां इसके पश्चात् उपबंधित रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे "

अध्याय 3

विवाह रजिस्ट्रीकरण : भारतीय विधायी अवसंरचना

3.1 भारत में, अरजिस्ट्रीकृत विवाह को विधिमान्य के रूप में मान्यता प्रदान न करना बहुत अनुपयुक्त होगा क्योंकि प्रायः कई विवाह पुजारियों की उपस्थिति में या उनके बिना, नातेदारों के बीच अनौपचारिक रूप से होते हैं या किसी अन्य रूढ़िगत ढ़ंग से होते हैं, जिन्हें भी विधिमान्य माना जाना चाहिए । यही कारण है कि विभिन्न अन्य देशों की तरह भारत ने भी 1993 के कन्वेंशन को पु-ट करते समय अपनी शर्त व्यक्त की थी । परंपरागत प्रथाएं इतनी उर्वर हैं और व्याप्त स्वीय विधि प्रणालियां भी विधि के लिए सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार करना आवश्यक बनाती हैं । अतः, लोगों में विधिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने का विचार है जिससे कि ये समारोह रजिस्ट्रीकरण की घटना के पूर्व या पश्चात् किए जा सकें ।

3.2 किसी अरजिस्ट्रीकृत विवाह को 'शून्य' नहीं माना जा सकता किंतु रजिस्ट्रीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास के लिए, अरजिस्ट्रीकरण हेतु थोड़ी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है । यह ऐसी परिस्थितियों में सहायक होगा जब पति/पत्नी को निराश्रित छोड़ दिया जाता है और अन्य पति/पत्नी द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है, प्रथम विवाह का सबूत अविवादित हो जाएगा और पति या पत्नी को अपने कुटुम्ब को त्यागने और भरण-पो-ण बाध्यता आदि की अनुज्ञा नहीं देगा ।

3.3 यह उल्लेखनीय है कि भारत में विवाह और विवाह-विच्छेद को लागू विभिन्न विधियां हैं, किंतु विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाले विधेयक का आशय स्वीय विधियों की इन लागू प्रणालियों में से किन्हीं को चुनौती देना या हस्तक्षेप करना नहीं है किंतु मात्र यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रथाओं और धर्मों के अधीन विवाह को रजिस्ट्रीकृत किया जा सके ।

(i) विवाह और विवाह-विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण/अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण पर विद्यमान केंद्रीय विधान

क. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872

3.4 अधिनियम के भाग 4 (धारा 27-37) में मिनिस्टर और पादरियों द्वारा संपन्न विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का व्यापक उपबंध है । इस भाग में सामान्य ईसाई और भारतीय या पैदाइशी ईसाई के विवाह के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण उपबंध हैं । अधिनियम का भाग 5 (धारा 38-59) अधिनियम के अधीन नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार द्वारा सीधे विवाहों के संपन्न सह-रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम का उपबंध करता है । भाग 6 (धारा 60-65) "भारतीय ईसाई" के विवाह के संबंध में है और प्रमाणन

के लिए नियम का उपबंध करता है । अधिनियम में, जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार को विवाह के विभिन्न प्रवर्गों के रजिस्ट्रीकरण के अभिलेख के पारे-ाण के भिन्न-भिन्न उपबंध हैं ।

ख. काजी अधिनियम, 1880

3.5 भारतीय मुसलमानों के विवाह काजी के रूप में ज्ञात धार्मिक व्यक्ति द्वारा संपन्न कराए जाते हैं । अधिनियम राज्य सरकारों को विवाह आदि के संपन्न कराने के लिए मुसलमानों को सहायता करने प्रयोजन के लिए काजी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है । अधिनियम की धारा 4 यह स्प-ट करता है कि राज्य नियुक्त काजी की उपस्थिति किसी विवाह के लिए आज्ञापक नहीं होगी । ''निकाह'' समारोह के पहले या तत्काल पश्चात् काजी एक निकाहनामा (विवाह की संविदा के सभी शर्तों वाला करार) तैयार करता है जो पक्षकारों का पूरा ब्यौरा देता है और दोनों के द्वारा और दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित होता है । काजी अपना हस्ताक्षर कर और अपनी मुद्रा लगाकर निकाहनामा को प्रमाणित करता है । ऐसे सभी कार्यों द्वारा मानक निकाहनामा के मुद्रित प्ररुप भंडार में रखे जाते हैं जो इसमें ऐसे विवाह जिन्हें वह संपन्न कराता है, पूरे ब्यौरे होता है, दोनों पक्षकारों को प्रतियां जारी करता है और अपने अभिलेख में यह प्रति संरक्षित रखता है । मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विवाह के सबूत के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है ।

ग. आनंद विवाह अधिनियम, 1909

3.6 यह अधिनियम सिक्खों के बीच विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यह आनंद करज शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 'आनंदपूर्ण मिलन' से है । अधिनियम को विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में समामेलित कर लिया गया । तथापि, इसका संशोधन 2012 में ऐसे सिक्ख दंपतियों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण को सम्मलित करने के लिए किया गया जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के विकल्प का चुनाव करें ।

घ. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936

3.7 अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध है कि पुजारियों से अधिनियम के अधीन नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार को सावधिकतः अपने अभिलेख परेि-ात करने की अपेक्षा है । ऐसा पुजारी जो विवाह

को प्रमाणित करने या विवाह रजिस्ट्रार को इसकी प्रति भेजने की उपेक्षा करता है, तीन मास तक के साधारण कारावास या 100/- रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध का दो-ी होगा । इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे और उनसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन जन्म, मृत्यु, विवाह महारजिस्ट्रार को अपने अभिलेख परेन्ित करने की अपेक्षा है ।

ङ. विशे-न विवाह अधिनियम, 1954

3.8 विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 धर्म के बावजूद सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और मूलतः समुदाय-पार विवाहों के लिए अधिनियमित किया गया था । विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रयोजन के लिए विशे-न रूप से नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा किया जाता है । सभी विवाह अधिकारियों द्वारा संपन्न किए गए विवाह अभिलेख सावधिकतः जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार को परेन्ित किए जाते हैं । इस अधिनियम (धारा 48 से 50) के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए विरचित किए जाने वाले नियमों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा अवधि और प्ररुप विहित किए जाते हैं ।

च. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

3.9 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 विवाह के रजिस्ट्रीकरण का अधिकथन करती है । इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से विवाह के सबूत रखना सुकर बनाता है । राज्य सरकार को विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है ।

छ. विदेश विवाह अधिनियम, 1969

3.10 इस अधिनियम का अधिनियमन विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा सिविल विवाह के संपन्न किए जाने को सुकर बनाने के लिए किया गया था । अधिनियम की धारा 3 के अधीन विवाह अधिकारियों की नियुक्ति विदेश के राजनयिक दूतावासों में इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है । अधिनियम में यह उपबंध है कि भारतीय नागरिक दूसरे भारतीय या विदेशी से विवाह कर सकेगा । विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 की तरह, इस अधिनियम के अधीन विवाहों का

आयोजन और रजिस्ट्रीकरण एक ही संव्यवहार के भाग है । ऐसे विवाह के आयोजन और रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन कमोवेश एक जैसी है । सभी राजनयिक दूतावासों में विवाह प्रमाण-पत्र बही बनाए रखे जाते हैं । इस अधिनियम के अधीन देश के किसी सामान्य रजिस्ट्रार को अभिलेखों के परे-ण का कोई उपबंध नहीं है । यह उन देशों की विधियों के अधीन विदेशों में पूर्व विद्यमान विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का भी उपबंध करता है ।

(ii) भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास

3.11 **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार**[12] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों/मताभिव्यक्तियों के अनुसरण में कई राज्यों ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए विधियां पारित कीं या नियम विरचित किए, अर्थात्

क. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम :

(i) पंजाब विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012 अपने धर्म, जाति, पंथ या रा-ट्रीयता के बावजूद पक्षकारों को लागू किसी विधि के अधीन राज्य के भीतर संपन्न विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है ।

(ii) दिल्ली (विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 2014, विवाह के पक्षकारों द्वारा उनके जाति, पंथ और धर्म के बावजूद दिल्ली में संपन्न सभी विवाहों तक विस्तारित है ।

(iii) हरियाणा विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2008 उससे संबद्ध या उनके अनु-ंगिक वि-नयों के लिए जाति, धर्म और पंथ के बावजूद राज्य के भीतर संपन्न विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है ।

(iv) मेघालय विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012, मेघालय राज्य में और उससे संबद्ध वि-नयों के लिए, मेघालय विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित, संपन्न विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है ।

(v) उत्तराखंड विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010, उत्तराखंड राज्य में

[12] पूर्वोक्त टिप्पण 6.

संपन्न सभी विवाहों की अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके, द्वि-विवाह या बहु-विवाह को नियंत्रित किया जा सके, महिलाओं को अपने पति से भरण-पो-ण और बच्चों की अभिरक्षा के उनके अधिकारों के प्रयोग में सहायता मिल सके, विधवाओं को विरासत का दावा करने में समर्थ बनाया जा सके और पतियों को अपने पत्नियों को त्यागने के निवारक के रूप में उपयोग किया जा सके और उससे संबद्ध या उसके आनु-ंगिक वि-यों के लिए भी इसमें उपबंध है ।

(vi) तमिलनाडु विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 । ''विवाह'' के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी रूप या रीति में किसी प्रथा या रूढ़ि के अनुसार किसी जाति या धर्म के व्यक्त्यों द्वारा संपन्न सभी विवाह सम्मिलित है और इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित है । अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विवाह को अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत किया जाना है । यह इस प्रकार है :–

विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया जाना : इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से किए गए प्रत्येक विवाह इस तथ्य के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे कि उक्त विवाह पक्षकारों की प्रथा या रूढ़ि या परंपरा के किसी अन्य स्वीय विधियों द्वारा शासित विवाह रजिस्टर में दर्ज किया गया है ।

(vii) इसी प्रकार, राजस्थान ने भी राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया जिसमें राज्य में संपन्न भारत के नागरिकों के विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है ।

(viii) मिजोरम विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2007, मिजोरम राज्य में संपन्न विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है, ''विवाह'' के अंतर्गत किसी जाति, जनजाति या धर्म के व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी विवाह और किसी प्रथा, रूढ़ि या परंपरा के अनुसार किए गए विवाह सम्मिलित हैं और इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित हैं ।

(ix) इसके अतिरिक्त, कर्नाटक विवाह (रजिस्ट्रीकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 और आंध्र प्रदेश विवाह अनिवार्य

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 हैं ।

(x) उड़ीसा में, विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन विभिन्न अधिनियमों और नियमों द्वारा किया जाता है ; अर्थात् (i) उड़ीसा मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1949 और मुस्लिम समुदाय के लिए 1976 का नियम (धारा 8 और नियम 2क) (ii) उड़ीसा हिंदू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (नियम 4, 4क और 4ख) (iii) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (धारा 6 और 9) और (iv) विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 (धारा 3) । **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार**[13] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, व-र्ा 2006 में उड़ीसा हिंदू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और उड़ीसा मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण नियम, 1976 को संशोधित किया गया और तब से हिंदू और मुस्लिम धर्म के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है ।

(xi) गोवा में, राज्य सरकार के पास विवाह के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ विवाह के पक्षकारों के धार्मिक रस्म-रिवाजों और समारोह के अधीन इसके संपन्न किए जाने के पूर्व किया जाता है । गोवा राज्य में विवाह के रजिस्ट्रीकरण की स्थिति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रगतिगामी है कि यह 1912 के सिविल रजिस्ट्रीकरण संहिता के अधीन शासित है जो अधिकांशतः 1867 के पुतर्गी संहिता के अधीन आधारित है । उक्त अधिनियम दमन और द्वीव को भी लागू है । उपनिवेशीय विधि के अधीन संपन्न रोमन कैथोलिक के विवाह को भी सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के माध्यम से गुजरने की आवश्यकता है । क्रिश्चियन समुदाय के विवाह का आयोजन चर्च के पादरी द्वारा तभी किया जा सकता है जब उप-रजिस्ट्रार कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र उसके समक्ष पेश किया जाए । 1912 के संहिता के अनुच्छेद 1 में प्रत्येक नागरिक की प्रामाणिकता और न्यायिक निजता नियत करने और उसके सिविल अधिकारों का आधार का प्रयोजन पूरा करने के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है । उसका अनुच्छेद 4 यह उपबंध करता है कि सबूत के किसी अन्य तरीके को स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसका अनुच्छेद 6 यह उपबंध करता है कि यदि रजिस्ट्रीकरण की कमी सबूत के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया माना जाता है तो ऐसे पक्षकार को

[13] पूर्वोक्त टिप्पण.

न्यायिक कार्यवाही का अवलंब लेना पड़ेगा ।

(xii) पुडुचेरी में, पांडिचेरी हिंदू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1969, 7 अप्रैल, 1969 से प्रवृत्त हुआ । पुडुचेरी के सभी उप-रजिस्ट्रार को विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजन के लिए विवाह रजिस्ट्रार के रूप में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त किया गया है । पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के समक्ष रजिस्ट्रीकरण विभाग के उप-रजिस्ट्रार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन या तारीख 24 अप्रैल, 1880 " डिक्रेट" द्वारा विवाह के रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों के अधीन नगरपालिक/कम्युन पंचायत सीमाओं के अधीन किया जाता है ।[14] पहले, पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय निकायों में जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए फ्रेंच सिविल कोड का उपयोग किया जाता था । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का क्रियान्वयन जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए मार्च, 1969 में किया गया । तथापि, विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अब भी उक्त फ्रेंच सिविल कोड के अधीन है ।

(xiii) जम्मू-कश्मीर में, मुस्लिमों के संबंध में जम्मू व कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981 की धारा 3 में यह उपबंध है कि अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् मुसलमानों के बीच किए गए विवाह को निकाह समारोह की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसमें उपबंधित रूप से रजिस्टर कराया जाएगा । तथापि, अधिनियम को प्रवृत्त नहीं किया गया है ।

(xiv) जहां तक चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है हिंदू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 1966 विरचित किया गया है ।

(xv) त्रिपुरा विवाह अभिलेखन अधिनियम, 2003 अधिनियम के अधीन संपन्न विवाह के अनिवार्य अभिलेखन को विनियमित करता है जिसे त्रिपुरा विवाह अभिलेखन (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अद्यतन किया गया है ।

---

[14] देखिए, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, 'जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पर पचपनवीं रिपोर्ट' (2013)

(xvi) पहले ऐसी अनेक विधियां थीं जो विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विद्यमान थी । वे इस प्रकार है : (1) बम्बई विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1953, पांच राज्यों में मुस्लिम विवाहों के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध किया गया है । ये असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मेघालय हैं । असम मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1935, उड़ीसा मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1949 और बंगाल मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1876 सुसंगत कानून हैं । इनमें से कई का निरसन नई विधिक सत्ता द्वारा किया जा चुका है ।

ख. विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम :

(i) बिहार विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2006 विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के संबंध में है । यह राज्य में संपन्न भारत के सभी नागरिकों के विवाहों को लागू हैं ;

(ii) मध्य प्रदेश विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 राज्य में संपन्न सभी विवाहों के लिए है ।

(iii) केरल विवाह रजिस्ट्रीकरण (सामान्य) नियम, 2008 में यह उपबंध है कि राज्य में संपन्न सभी विवाहों का पक्षकारों के धर्म के बावजूद अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा । नियमों को अब पंचायत निदेशक के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा जो मुख्य विवाह रजिस्ट्रार हैं ।

(iv) छत्तीसगढ़ विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2006 समुदाय या धर्म के बावजूद सभी के लिए विवाह रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाता है ।

(ग) कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम/नियम प्रक्रियाधीन है ;

अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधीन वि-नय पर आवश्यक विधि बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं । उत्तर प्रदेश विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारुप सरकार के पास विचाराधीन है । कुछ संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अंडमान और निकोवार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में प्रारुप विधि को संघ सरकार को अग्रेनित किया है । नागालैंड विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2012 को आस्थगित किया गया और पुनः नागालैंड विधान सभा में अप्रैल, 2014 में चर्चा की गई ।

अध्याय 4

न्यायिक निर्णय

4.1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई बार विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया । सर्वाधिक उल्लेखनीय विनिश्चय **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार**[15] का है जिसमें विवाहों के मुद्दों से संबंधित वि-नयों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार मत व्यक्त किया गया :–

> "....हमारा यह मत है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के विवाह जो विभिन्न धर्मों के भारत के नागरिक हैं उनके संबद्ध राज्यों में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री योग्य बनाया जाए जहां विवाह संपन्न हो ।"

4.2 इस प्रकार, न्यायालय ने यह निदेश दिया कि राज्य और केंद्रीय सरकार निम्नलिखित कदम उठाएं :

(i) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया की अधिसूचना आज से तीन मास के भीतर संबद्ध राज्यों द्वारा जारी की जाए । यह विद्यमान नियम यदि कोई है को संशोधित कर या नये नियम विरचित कर किया जा सकता है । तथापि, आम जनता के सदस्यों से आपत्तियां उक्त नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व आमंत्रित की जाएं । इस संबंध में राज्यों द्वारा सम्यक् प्रचार किया जाएगा और आपत्तियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की तारीख से एक मास की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए वि-नय को खुला रखा जाएगा । उक्त अवधि की समाप्ति पर, राज्य नियमों को प्रवृत्त करते हुए समुचित अधिसूचना जारी करेंगे ।

(ii) राज्यों के उक्त नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारी विवाहों को रजिस्टर करने के लिए समुचित रूप से प्राधिकृत होगा । आयु, वैवाहिक प्रास्थिति (अविवाहित, तलाकशुदा) का उल्लेख स्प-टतः किया जाएगा । विवाहों के अरजिस्ट्रीकरण या मिथ्या घो-णा फाइल करने के परिणाम का उपबंध उक्त नियमों में किया जाएगा । यह जोड़ना आवश्यक नहीं है कि उक्त नियमों का उद्देश्य इस न्यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करना होगा ।

---

[15] पूर्वोक्त टिप्पण 6

(iii) जैसे ही केंद्रीय सरकार व्यापक नियम अधिनियमित करती है, यह संवीक्षा के लिए इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा ।''

4.3 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अभी दी जानी है । मामले को 34 बार सूचीबद्ध किया गया । अंतिम बार यह 21 मार्च, 2017 को सूचीबद्ध किया गया था । कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपरोक्त निदेशों के अनुपालन की सूचना देते हुए शपथ-पत्र फाइल किए हैं और कुछ द्वारा अभी फाइल किया जाना है जैसे कि पहले अध्याय में चर्चा की गई है ।

4.4 **कनगवल्ली** बनाम **सरोज**[16] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा उपलब्ध कराने में रजिस्ट्रीकरण के महत्व को रेखांकित किया । उसने यह राय व्यक्त की कि यदि रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाए तो द्वि-विवाह के लिए अभियोजन को आसान बनाया जा सकता है । यदि कोई हिंदू पुरु-ा दूसरा विवाह करता है और इसे रजिस्टर करता है तो कम से कम दूसरी पत्नी के पास यह दर्शित करने के लिए दस्तावेज के रूप में सबूत होगा कि विवाह उसके और पुरु-ा के बीच रजिस्ट्रीकृत किया गया है । न्यायालय ने यह टिप्पणी की :[17]

> ''..... विवाहों के अरजिस्ट्रीकरण ने कई महिलाओं के संबंध को ऐसे धरातल पर ला खड़ा किया है जो उससे नि-कर्-ात होते समय, पत्नी को न तो विधि के अधीन किसी अधिकार, न ही समाज में मान्यता के लायक छोड़ रखता है। इसके अलावा, हिंदू पुरु-ा किसी भय के बिना दूसरा विवाह करने के योग्य हैं ।

4.5 इसी प्रकार, **बलजीत कौर और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[18] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सीमा मामले के तर्काधार को दोहराया और यह राय व्यक्त की कि विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने से विवाह के संपन्न किए जाने से संबंधित विवादों में कमी आएगी ।[19]

---

[16] ए. आई. आर. 2002 मद्रा. 73.

[17] -वही-

[18] (2008) 151 पी.एल.आर. 326.

[19] नजमा बनाम विवाह महारजिस्ट्रार और अन्य, 2012(1) के.एच.सी. 655. देखिए ।

4.6 केरल न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यह अनुदेश कि भिन्न-भिन्न धर्म के व्यक्तियों के बीच संपन्न विवाह सीमा वाले मामले के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसरण में विरचित सामान्य नियम के अधीन रजिस्टर योग्य नहीं हैं, नियम में अंतर्वि-ट उपबंधों के प्रतिकूल और असंगत है ।[20] **एस. बालाकृ-णन पोंडियन** बनाम **पुलिस अधीक्षक**[21] वाले मामले में उच्च न्यायालय ने बलपूर्वक यह कहा कि तमिलनाडु विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 एक पंथ निरपेक्ष विधि है और यह सभी धार्मिक आस्थाओं के अधीन संपन्न विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाता है । उसने यह भी अवधारित किया कि तमिलनाडु राज्य के रजिस्ट्रार पक्षकारों के उपस्थिति के बिना आपवादिक परिस्थिति में ही कारण अधिकथित करते हुए विवाह रजिस्टर कर सकते हैं न कि अन्यथा ।

4.7 एक रजिस्ट्रीकृत विवाह न केवल पति-पत्नी की प्रास्थिति को साबित करता है बल्कि उत्तराधिकार विवादों में भी सहायक है । **सु-नमा** पत्नी **हेमंत राव बोडस** बनाम **मालती** पत्नी **मधुकर मचिले**[22] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने विवाह प्रमाण-पत्र के आधार पर विधिमान्य विवाह के पक्ष में न्यादेश दिया । न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण उत्तराधिकार और अन्य विवादों में विवाह के सबूत को सुकर बनाता है ।

4.8 इन निर्णयों से यह उपदर्शित होता है कि विवाह का अरजिस्ट्रीकरण कठिनाई पैदा करेगा, विशे-कर जब वैवाहिक विवाद उत्पन्न होंगे । रा-ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की कि महिलाओं को कपट के मामलों को रोकने के लिए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण पर बल देना चाहिए ।[23] इन मामलों के आलोक में विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाना एक व्यावहारिक समाधान लगता है ।

---

[20] दीपू देव बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 2013 केरल 51.

[21] (2014) 7 एम.एल.जे. 651.

[22] 2009 (111) बम्ब. एल.आर. 3974.

[23] "अप्रवासी भारतीय के विवाहों से संबंधित समस्याएं," http://ncw.nic.in/pdffiles/nridodont.pdf पर उपलब्ध (26 अप्रैल, 2017 को अंतिम बार देखा गया)

अध्याय 5

भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों पर पुनर्विचार

5.1 भारत के 18वें विधि आयोग ने 2006[24] की रिट याचिका (दांडिक) सं. 81 में बाल विवाह से संबंधित कतिपय मुद्दों पर उसे सहायता करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुरोध पर अपना कार्य आरंभ किया । आयोग ने अपनी 205वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जो ऐसी विधि का सुझाव दिया जो बाल विवाह की बुराई का उन्मूलन करेगी। इस रिपोर्ट में दिया गया सुझाव इस प्रकार है :–

> ''सभी समुदायों अर्थात् हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण नियत अवधि के भीतर सरकार द्वारा आज्ञापक बनाया जाए ।''

5.2 18वें आयोग ने **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार**[25] वाले मामले में तारीख 14 फरवरी, 2006 के निदेशों के आलोक में, कि सभी विवाहों को अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत किया जाए और राज्य सरकार इस बाबत नियम बनाने की कार्रवाई आरंभ करें, स्वप्रेरणा से विवाह और विवाह-विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण के वि-नय पर कार्य आरंभ किया । आयोग ने विद्यमान अधिनियमितियों की परीक्षा की और अपनी 211वीं रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि विवाहों की रजिस्ट्रीकरण की विधियों की बाबत काफी विभिन्नता है ।

5.3 18वें आयोग ने भी ये उल्लेख किया कि जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 जिसमें यह उल्लेख है कि ''जन्म और मृत्यु'' का रजिस्ट्रीकरण राज्य द्वारा निहित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम के अधीन किया जाए किंतु विवाह के रजिस्ट्रीकरण का कोई उपबंध नहीं है अतः, अधिनियम का शी-र्नक कुछ भ्रामक है । अधिनियम के अधीन, जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार को विशे-ा विवाह अधिनियम, 1994, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त विवाह रजिस्टरों की प्रमाणिक प्रतियों की उचित सूची रखना है । बम्बई, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में विवाह रजिस्ट्रीकरण पर कुछ अन्य राज्य विधियां हैं किंतु कहीं भी विवाह के रजिस्ट्रीकरण की

---

[24] दिल्ली महिला आयोग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका सुनवाई के लिए 21 अप्रैल, 2014 को सूचीबद्ध की गई और वापस लेने के कारण खारिज की गई ।

[25] पूर्वोक्त टिप्पण 6.

असफलता जो अन्यथा अनिवार्य है, किसी तरह विवाह के विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करती । विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रशासनिक तंत्र प्रत्येक जगह किसी एक या उसी विधि द्वारा विनियमित नहीं है । देश के विभिन्न भागों में यह तीन में से एक केंद्रीय विधियों - जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 या किसी स्थानीय विधि या दोनों के संयोजन द्वारा विनियमित है । यह रजिस्ट्रीकरण कर्मचारियों और ऐसे लोगों में काफी भ्रम पैदा करता है जो अपना विवाह रजिस्टर करना चाहते हैं या जिनसे अपेक्षित है ।

5.4 इस प्रकार, 18वें विधि आयोग ने यह उल्लेख किया कि विवाह के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों की व्यापक विविधता प्रक्रिया को जटिल और भ्रामक बनाती है । उसने संपूर्ण भारत में और सभी नागरिकों को उनके धर्म और स्वीय विधियों के बावजूद तथा किसी अपवाद या छूट के बिना लागू होने के लिए ''विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम'' के अधिनियमन की सिफारिश की ।

5.5 18वें आयोग ने ''भारत में सिविल विवाह विधियां - कतिपय विरोध को दूर करने का प्रस्ताव, 2008'' शी-र्नक की अपनी 212वीं रिपोर्ट में विवाह रजिस्ट्रीकरण के प्रश्न को सीधे विचार करने के बजाए विभिन्न कुटुम्ब विधियों के बीच विरोधों को दूर करने के लिए विधि के अधिनियमन का सुझाव दिया । रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि :–

> ''भारत में अनेक विवाह होते हैं जो विभिन्न स्वीय विधियों की परिधि के बाहर हैं किंतु औपचारिक रूप से संपन्न न किए जाने या इसके अधीन रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के कारण विशे-ा विवाह अधिनियम द्वारा लागू नहीं की जा सकती । यह प्रश्न अभी तक नहीं सुलझा है कि ऐसे विवाहों को तब कौन सी विधि लागू होगी ।

5.6 इस प्रकार, इस अंतराल को स्वीकार करते हुए आयोग ने लोगों को अपनी प्रथाओं और स्वीय विधियों पर समझौता किए बिना विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण करने के लिए विशे-ा विवाह अधिनियम, 1954 और विदेश विवाह अधिनियम, 1969 दोनों का संशोधन करने की सिफारिश की ।

5.7 18वें विधि आयोग ने आगे यह सुझाव दिया कि ''विशे-ा'' पद पर इस तथ्य के आलोक में

पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि परस्पर-पार समुदायों के बीच विवाह अब आम बात है । रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि हिंदू, सिक्ख, बौद्ध और जैन के बीच उन अपवादों के साथ विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन सभी विवाहों का रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा की जाए । अतः, रिपोर्ट में विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक विधान बनाने का उल्लेख नहीं किया बल्कि स्वयं 1954 अधिनियम के बाहर एक समग्र विधान सृजित करने की ईप्सा की । तथापि, इस आयोग ने विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 के ऐसे विस्तार के प्रति अरुचि दिखाई क्योंकि इसमें व्यापक पुनरीक्षण की आवश्यकता थी, उदाहरणार्थ कई अन्य बातों के साथ-साथ विवाह के प्रतिनिद्ध डिग्री से संबंधित उपबंध जिसका विवाह के रजिस्ट्रीकरण के विधेयक से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

5.8 21वें आयोग द्वारा दिया गया सुझाव केवल विवाह के रजिस्ट्रीकरण के बारे में न कि विभिन्न वैवाहिक विधि - सामान्य और समुदाय विशे-न द्वारा शासित कुटुम्ब विधि के किसी महत्वपूर्ण पहलू के बारे में है । तदनुसार, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1986 को निरसित किया जाए और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 को इस उपबंध के साथ, कि पूर्व अधिनियम के अधीन कार्यरत कर्मचारी और बनाए गए अभिलेखों को बाद वाले अधिनियम के अधीन कार्यरत और बनाया गया समझा जाएगा, ''जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम'' के रूप मे नामित किया जाए ।

5.9 विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन यथापेक्षित शर्तें अधिकथित करने की आवश्यकता नहीं है किंतु इसके बजाए विवाह के विधिमान्य सबूत बने रहने के लिए सभी विभिन्न रूढ़ियों और आयोजनों की अनुज्ञा देते हुए, मात्र उद्देश्य अभिलेखन प्रयोजनों के लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जाना है ।

5.10 विचार विवाह के संपन्न किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त प्रक्रिया अधिकथित करना नहीं बल्कि केवल विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करना है । इस प्रकार, वस्तुतः विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विवाह अधिनियमों या स्वीय विधि पर कोई प्रभाव डाले बिना जन्म और मृत्यु के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की तरह परिवर्तन लाने की सिफारिश करना है ।

अध्याय 6

विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय विधान की आवश्यकता

6.1 अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रीकरण पर विधानों की बाबात राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ उद्भूत मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वि-नय पर केंद्रीय विधान की आवश्यकता है ? यदि हां, तो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 के अनुसार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जाए या विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए पृथक अकेले विधान पर विचार किए जाने की अपेक्षा है ?

6.4 **सीमा** बनाम **अश्वनी कुमार**[26] वाले मामले में विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए निदेश देने के पूर्व उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि (क) बाल विवाह रोकने और विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित करने, (ख) पक्षकारों की सहमति के बिना विवाह का निवारण, (ग) द्वि-विवाह/बहु-विवाह का नियंत्रण, (घ) ससुराल में निवास/भरण-पो-नण आदि के अधिकारों का दावा करने के लिए विवाहित महिलाओं को समर्थ बनाने, (ड) विधवाओं को उनके विरासत अधिकारों, अन्य फायदों और विशे-नाधिकारों का दावा करने जिसका वे अपने पति की मृत्यु के पश्चात् हकदार हैं, के लिए समर्थ बनाने, (च) विवाह के पश्चात् महिलाओं को त्यागने से पुरु-नों को निवारित करने, (छ) माता-पिता/संरक्षकों को महिलाओं को विवाह के आवरण के अधीन विदेशी सहित किसी व्यक्ति को दुर्व्यापार में लिप्त होने से निवारित करने जैसे विभिन्न मुद्दों के लिए ऐसी विधि का काफी महत्व होगा ।

6.3 इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि स्वयं रजिस्ट्रीकरण, स्वयं विधिमान्य विवाह का सबूत नहीं हो सकता और विवाह की विधिमान्यता से संबंधित अवधारणीय कारक नहीं होगा फिर भी, इसका बच्चों की अभिरक्षा ऐसे दो व्यक्तियों के विवाह बंधन जिसका विवाह रजिस्ट्रीकृत है, से उद्भूत बालकों का अधिकार और विवाह के पक्षकारों की आयु के मामले में काफी साक्ष्यिक मूल हैं । इस प्रकार, यह समाज के हित में होगा, यदि विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाए । तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय सरकार के लिए निदेश जारी किए गए थे । आदेश तारीख 14 अप्रैल, 2006 का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

---

[26] पूर्वोक्त टिप्पण 6.

"(iii) जैसे ही केंद्रीय सरकार एक व्यापक कानून अधिनियमित करती है, इसे इस न्यायालय के समक्ष संवीक्षा के लिए रखा जाएगा ।"

6.4 वि-नय पर उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के पूर्व, अंतरररा-ट्रीय और रा-ट्रीय स्तर अर्थात् संयुक्त रा-ट्र संघ[27] ; रा-ट्रीय मानव अधिकार आयोग[28] ; महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की संचालन समिति[29] ; महिला सशक्तिकरण समिति[30] ; रा-ट्रीय महिला आयोग[31] ; भारत का विधि आयोग ; संसदीय स्थायी समिति ; राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में विवाह और विवाह-विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करने के सुझाव/मांग किए जाते रहे हैं । इसके अतिरिक्त, विवाह के संपन्न होने के पश्चात् या विवाह-विच्छेद के पश्चात् कई कानूनों ने पक्षकारों (पुरु-न और महिला) और बच्चों के अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का उपबंध किए हैं । विभिन्न प्रकार के अधिकार और विवाद जो विवाह/विवाह-विच्छेद से उद्भूत होते हैं, इस प्रकार है - दाम्पत्तिक अधिकारों का प्रतिस्थापन, विवाह से संबंधित अपराध, बच्चों की धर्मजता, बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित विवाद ; स्त्री धन या दहेज संबंधी विवाद ; क्रूरता और प्रपीड़न संबंधी विवाद ; संपत्तियों का उत्तराधिकार, विदेश का दौरा, विवाह-विच्छेद या पृथककरण संबंधी विवाद ; भरण-पो-ण संबंधी विवाद, पुनर्विवाह की अवधि आदि । ऐसे मुद्दों पर अनिवासी भारतीयों सहित काफी संख्या में विवाद विभिन्न अधिकरणों/न्यायालयों में न्यायनिर्णीत किए जा रहे हैं । विवाह का अरजिस्ट्रीकरण महिला और बच्चों को प्रभावित करता है । महिलाएं द्वि-विवाह संबंध और संपत्ति विवाद आदि की प्रमुख शिकार हैं और अपना विवाह साबित करने में अधिक कठिनाई का समना करती है । अतः, विवाहित/तलाकशुदा के भवि-य को सुरक्षित करने और विवाह के आवरण के अधीन विदेशी सहित किसी व्यक्ति को नवयौवना का दुर्व्यापार करने/ बाल विवाह को रोकने के लिए विधि अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है ।

6.5 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रीकरण विभाग और रजिस्ट्रार को मिलाकर रजिस्ट्रीकरण

---

[27] महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद को दूर करने पर कन्वेंशन, अनुच्छेद 16(2).

[28] रा-ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 'वार्-िक रिपोर्ट' 1995-96 पैरा 4.6 :http://nhrc.nic.in/ar95_96.htm पर उपलब्ध (3 मई, 2017 को अंतिम बार देखा गया)।

[29] भारत का योजना आयोग, "11वीं योजना के लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर संचालन समिति की रिपोर्ट (2006)" :http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/strgrp11/str11_wcd.pdf पर उपलब्ध (4 मई, 2017 को अंतिम बार देखा गया)

[30] पूर्वोक्त टिप्पण 5.

[31] रा-ट्रीय महिला आयोग, विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2015 का प्रारुप ।at:http://ncw.nic.in/pdffiles/compmarriagebill.pdf पर उपलब्ध (4 मई, 2017 को अंतिम बार देखा गया) ।

स्थापनों का उपबंध करता है । यह जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण और अभिलेखों और आंकड़ों के अनुरक्षण की प्रक्रिया का उपबंध करता है । इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जन्म और मृत्यु अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियम विरचित किए गए हैं । अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में, रा-ट्रीय योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा क्रियाकलाप आयोजित करने और परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि का विकास करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त और सही देशवार रजिस्ट्रीकरण आंकड़ों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है । यह महसूस किया गया कि देश में एक ठोस और एकीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के विकास के लिए, वि-नय पर एक केंद्रीय विधान आवश्यक है ।

6.6 अतः, विवाह के रजिस्ट्रीकरण को सम्मिलित करने और इसकी व्याप्ति के भीतर संशोधन करना आवश्यक है जिससे कि विद्यमान प्रशासन तंत्र विनिर्दि-ट प्रक्रिया के अनुसार विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने में समर्थ हो । इसके अतिरिक्त, राज्य एक कार्यालय/स्थान पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण के आवश्यक अभिलेख और आंकड़े बनाए रखने में समर्थ होंगे । यह प्रस्ताव को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाएगा क्योंकि यह प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए पृथक अवसंरचना स्थापित करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार कारित नहीं करेगा ।

6.7 'विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण' के लिए अंतिम उद्देश्य ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना है जो पक्षकारों के धर्म या जाति, रीति, समय या विवाह के संपन्न किए जाने का स्थान या रूढ़ि/अधिनियमिति जिसके अधीन विवाह संपन्न हुआ है या पक्षकारों की स्वीय विधियों के बावजूद भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 केवल जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में है । अतः, विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक विधान बनाना वांछनीय नहीं है क्योंकि यह कोई उपयोगी प्रयोजन पूरा नहीं करेगा । यह विधेयक ऐसी रूढ़ि या प्रथा जिसके अधीन विवाह संपन्न किए जाते हैं, के प्रकार को दृश्य बनाने में एक कदम आगे होगा ।

6.8 वर्तमान विधायी प्रणाली प्रायः अनुत्तरित अंतराल छोड़ देती है जहां उद्घो-ित न्यायालय आदेशों के अभाव में कई मामले पथ भ्रमित प्रतीत होते हैं । **स्वप्रेरणा से न्यायालय द्वारा (लज्जा देवी)** बनाम **राज्य (दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र)**[32] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने प्रतिकूल विधानों की पहचान की जो अब भी स्प-टतः उद्घो-ित नहीं करते कि भारत में

[32] 2013 क्रि. ला ज. 3458.

विवाह करने की विधिक न्यूनतम आयु क्या है ? हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii) और बाल विवाह प्रति-नेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(क) बधू के लिए न्यूनतम आयु 18 व-र्ा और वर के लिए न्यूनतम आयु 21 व-र्ा विहित करती है । भारत में मुस्लिम विधि ऐसे अवयस्क को विवाह को विधिमान्य होने की मान्यता प्रदान करती है जिसने यौवनारंभ प्राप्त कर लिया है । विशे-ा विवाह अधिनियम भी क्रमशः महिलाओं और पुरु-ों के लिए न्यूनतम विधिक आयु 18 और 21 विहित करता है । तथापि, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 के अधीन ऐसे विवाह जहां एक या अधिक पक्षकार न्यूनतम विधिक आयु के अपेक्षा को पूरा नहीं करते, न तो शून्य न ही शून्यकरणीय हैं और मात्र जुर्माना अदा करने के दायी हैं । बाल विवाह प्रति-नेध अधिनियम की धारा 3 ऐसे विवाह को अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय समझती है जहां एक या अधिक पक्षकार अवयस्क हैं । वहां संरक्षकता का भी प्रश्न है जहां विधियां इस बिंदु पर अस्प-ट हैं कि क्या पति हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार पत्नी का संरक्षक हो सकता है जब कि उसने स्वयं अभी वयस्कता की अवधि प्राप्त नहीं की है ।

6.9 तब प्रश्न यह उठता है कि जब यह विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आता है तो क्या विधि को विभिन्न स्वीय विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए 'विधिमान्य विवाह' के रूप में इन्हें अनुज्ञात कर बाल विवाह के इस मौन अनुपालन को प्रोत्साहित करना चाहिए या विधि को इन विवाहों को रजिस्टर नहीं करना चाहिए, जहां आंख बंद कर लेना और विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत न करने से वस्तुतः अविनियमित क्रियाकलाप जारी रहेगी । यह **लज्जा देवी**[33] वाले मामले में उजागर किया गया :

> "..... विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अभी अनिवार्य नहीं बनाया गया है । अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण यह अधिदेश देता है कि विवाह करने वाले लड़के और लड़की की आयु का उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए तो यह माता-पिता को अपने अवयस्क बच्चों का विवाह करने से हतोत्साहित करेगा क्योंकि उनकी आयु के लिखित दस्तावेज ऐसे विवाहों की अवैधता को साबित करेंगे । संभवतः, यह स्वीय विधियों द्वारा कायम किए गए अवयस्क विवाहों के संवेदनशील मुद्दे से निपटने में समर्थ होगा ।"

6.10 **विधियों में प्रतिकूलता :** तथापि, बाल विवाह के स्प-ट प्रास्थिति के अभाव में - चाहे यह शून्य, शून्यकरणीय या विधिमान्य हो - रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित आयु ऐसा प्रश्न है जिसे सभी स्वीय विधि के अधीन शिथिलीकृत आयु के संबंध में दी गई स्वतंत्रता और संरक्षण और विधियों के

---

[33] -वही-

माध्यम से सुधार लाकर सामाजिक दायित्व की तुलना कर विनिश्चित किए जाने और उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है ।

6.11 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में यह उपबंध है कि ऐसी किसी महिला जिसने 18 व-र्ा की आयु प्राप्त नहीं की है, के गर्भ का समापन उसके संरक्षक की लिखित में सहमति के सिवाए नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, दहेज प्रति-ोध अधिनियम, 1961 भी यह अभिस्वीकृति प्रदान करता है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम के बावजूद विवाह होते हैं जबकि पक्षकारों की आयु 18 व-र्ा से कम हैं । दहेज प्रति-ोध अधिनियम में यह उपबंध है कि यदि दहेज तब प्राप्त की गई जब बधू अवयस्क थी तो दहेज उसके संरक्षक द्वारा न्यास में धारित की जानी चाहिए और तब अंतरित करना चाहिए जब वह 18 व-र्ा की आयु अभिप्राप्त कर ले । इसके अतिरिक्त, दंड विधि के अधीन भी भारतीय दंड संहिता, 1861 की धारा 375, 376 अवयस्क के साथ लैंगिक समागम को बलात्संग मानती है किंतु उसमें ऐसा अपवाद भी है कि ''पुरु-ा द्वारा अपनी निजी पत्नी के साथ लैंगिक समागम बलात्संग नहीं है, यदि पत्नी 15 व-र्ा की आयु से कम की नहीं है ।''

6.12 इस प्रकार, सहमति की आयु 16 व-र्ा, विवाह की आयु 18 व-र्ा है तथापि, यदि विवाहिता है, तो लैंगिक समागम के लिए सहमति 15 व-र्ा मानी जाती है । आयु सहमति अधिनियम, 1891 के अधीन सभी विवाहित या अविवाहित लड़कियों के लिए मैथुन की सहमति की आयु बढ़ाकर सभी अधिकारिताओं में 10 से 12 व-र्ा की गई और इसका अतिक्रमण बलात्संग के रूप में आपराधिक अभियोजन के अधीन था । बालक लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 बालक को 18 व-र्ा की आयु से नीचे के रूप में परिभाि-त करता है । किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) (xii) यह अनुबंध करती है कि ऐसा बालक 'जो विवाह की आयु अभिप्राप्त करने के पूर्व विवाह के आसन्न खतरे में है और जिसके माता-पिता, कुटुम्ब के सदस्य, संरक्षक और किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे विवाह के संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है' देखभाल और संरक्षण की आवश्यकतावाला बालक है ।

6.13 वयस्कता अधिनियम, 1875 यह स्प-ट करता है कि उक्त अधिनियम विवाह आदि के मामलों को लागू नहीं होता । जहां तक इस्लामिक विधि का संगम है, 18 व-र्ा की आयु के नीचे के पक्षकारों के विवाह के संबंध में परस्पर प्रतिकूल मत है । मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन यह उपबंधित है कि यदि कोई मुस्लिम जिसने यौवनारंभ प्राप्त कर लिया है और स्वस्थ चित का है, विवाह की संविदा कर सकता है । 'यौवनारंभ'[34] और वयस्कता मुस्लिम विधि के अधीन एक और एक जैसे हैं ।

[34] मुल्ला, मुस्लिम विधि पर कमेंट्री (द्विवेदी ला एजेंसी, इलाहाबाद, 2013)

उपधारणा यह है कि व्यक्ति 15 पर वयस्कता अभिप्राप्त करता है किंतु हेदया यह अधिकथित करता है कि शीघ्रतम अवधि लड़के के लिए 12 व-र्ा है लड़की के लिए 9 व-र्ा है । हनाफी के बीच वयस्कता पुरु-ा और महिला दोनों के मामले में 15 व-र्ा पूरा होने पर उपधारित की जाती है जब तक यह साबित करने का कोई साक्ष्य न हो कि यौवनारंभ पहले अभिप्राप्त कर लिया था । शिया महिला के मामले में यौवनारंभ की आयु मासिक धर्म से आरंभ होती है। **नबाद सादिक अली खान** बनाम **जय किशोरी**[35] (शिया लड़की से संबंधित मामला) वाले मामले में प्रिवी काउंसेल के माननीय न्यायाधीशों द्वारा भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि लड़की के लिए यौवनारंभ की आयु 9 व-र्ा है । किंतु हेदाया के अनुसार :

> किसी बालक के यौवनारंभ को उसके स्वप्नदो-ा के अधीन होने, किसी महिला को गर्भ ठहराने में सक्षम होने या उत्सर्जन क्रिया के आधार पर साबित किया जाता है और यदि इनमें से कोई विद्यमान नहीं है तो उसका यौवनारंभ तब तक साबित नहीं होता है जब तक उसने 18 व-र्ा की आयु पूरी नहीं कर लेता । किसी लड़की के यौवनारंभ को मासिक धर्म, स्वप्नदो-ा या गर्भावस्था द्वारा साबित किया जाता है और यदि इनमें से कोई नहीं होता तो उसका यौवनारंभ उसके 17 व-र्ा के पूरा होने पर साबित होता है ।''

6.14 इस प्रकार, विधियों की प्रतिकूलता न केवल विभिन्न स्वीय विधियों के बीच है बल्कि बाल विवाह, दहेज प्रति-ोध और अन्य के साथ-साथ गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन संबंधी विभिन्न अन्य अधिनियमितियों में भी है । इस प्रकार, जहां विधेयक का लक्ष्य ऐसी विधि जिसके अधीन विवाह को मान्यता प्रदान कियाजाता है या संपन्न किया जाता है, की परवाह किए बिना विवाहों के मात्र रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करते हुए, स्वीय विधियों की विविधता या क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना नहीं है, यह सिफारिश करता है कि रजिस्ट्रीकरण का नियम विरचित करते समय इन विभिन्न अतिव्याप्ति और प्रतिकूल विधानों को ध्यान में रखा जाए ।

---

[35] (1928) 30 बम्ब. एल. आर. 1346.

अध्याय 7

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित रजिस्ट्रीकरण की संभाव्यता

7.1 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य एक केंद्रीय सिविल रजिस्ट्रीकरण पोर्टल सृजित करना जिसमें जन्म, विवाह और मृत्यु के अभिलेख होंगे और दस्तावेजों की सुविधाजनक पहुंच उपलब्ध कराना होगा । आधुनिक तकनीकी युग में, हस्तलिखित रजिस्ट्रीकरण बहुत थकाऊ और समय खपाऊ होता है । कुछ राज्य सरकार पहले ही ऑनलाइन विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं । तदनुसार, अन्य राज्यों में भी यथासंभव विवाह का रजिस्ट्रीकरण ऑनलाइन संभव बनाया जाए ।

7.2 23 सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । उदाहरणार्थ, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने और संबंधित सेवाएं में सुधार करने के लिए मई, 2010 में पासपोर्ट सेवा योजना शुरू की थी । नागरिक अपनी सुविधानुसार अपने पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और ऑनलाइन पासपोर्ट फीस का भुगतान कर अपॉइंटमेंट की ईप्सा कर सकते हैं । बहु-भा-षीय काल सेंटर 17 भा-षाओं में चालू हैं जो नागरिकों को पासपोर्ट सेवा संबंधी जानकारी अभिप्राप्त करने और सप्ताह में सातों दिन हर समय अपनी पासपोर्ट आवेदनों के बारे में नवींतम जानकारी उपलब्ध कराते हैं । इस कार्यक्रम के अधीन सत्यापन, पासपोर्ट मंजूर किया जाना और जारी किया जाना और आंकड़ा/जानकारी का नियंत्रण जैसे संप्रभु कृत्य विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिधारित किए गए हैं ।

7.3 इसी प्रकार, भारत में ऑनलाइन जन्म रजिस्ट्रीकरण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है । इसी प्रकार की प्रक्रिया विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए भी अपनाई जाएगी।

7.4 कुछ राज्य पहले ही विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराते हैं किंतु ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए एक केंद्रीय रा-ट्रीय पोर्टल बनाया जाना वांछनीय होगा । आयोग की यह राय है कि सभी नागरिकों को उक्त पोर्टल की पहुंच आसानी से उपलब्ध कराने के लिए देशी भा-षा में प्ररुप और दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

7.5 यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अद्भूत पहचान संख्या (यू.आई.डी.) से जोड़ा जाता है तो इससे अभिलेख के सार्वभौमिक पता लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव होगा ।

अध्याय 8

नि-क-र्ा और सिफारिशें

8.1 विवाह के रजिस्ट्रीकरण के गुणागुण पर रिपोर्ट में पहले ही विस्तार से चर्चा की गई है । अधिकांश देशों ने विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया है । भारत में, इसके आकार, जनसंख्या और विवाह के रूढ़िगत रूपों की मात्र विभिन्नता के कारण प्रायः यह प्रचार किया जाता है कि सभी विवाहों को रजिस्टर करने का ऐसा प्रयास कठिन होगा । तथापि, क्रियान्वयन की कठिनाई ऐसे अधिनियमिति के गुणागुण को आवरित नहीं करती ।

8.2 एक बार अधिनियमित हो जाने पर, संशोधित विधि कई अन्य सिविल और आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने में समर्थ होगी । यह नागरिकों को न केवल नए अधिकार बल्कि ऐसी विभिन्न कुटुम्ब विधियों के अधीन विद्यमान अधिकारों का बेहतर प्रवर्तन उपलब्ध कराएंगी जो विवाह के भीतर पति-पत्नी के कई अधिकार प्रदान करते हैं और संरक्षण उपलब्ध कराते हैं । व्याप्त विवाह अधिनियमों अर्थात् भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 ; काजी अधिनियम, 1880 ; आनंद विवाह अधिनियम, 1909 ; पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 ; सरिया उपयोजन अधिनियम, 1937 ; विशे-न विवाह अधिनियम, 1954 ; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ; विवाह संबंधी किसी अन्य रूढ़ि या स्वीय विधि में से किसी एक के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण स्वीकार्य होगा और पृथक अकेले विधान की तब तक अपेक्षा नहीं होगी जब तक विवाह सम्मिलित करते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता ।

8.3 संविधान के स्कीम के अधीन विवाह और विवाह-विच्छेद को शासित करने वाली विधियां बनाने की शक्ति समवर्ती सूची की प्रवि-टि 5 के अंतर्गत आती है ।[36] संविधान के अनुच्छेद 254 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, किसी राज्य द्वारा अधिनियमित कोई विधि, जो इस अधिनियम (2015 का विधेयक) के प्रारंभ की तारीख से प्रवृत्त है, यदि इस अधिनियम (विधेयक) के अनुरुप और संगत नहीं है, उस सीमा तक शून्य होगी । यह विधेयक विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी विद्यमान अधिनियम के किसी उपबंध के निराकरण में नहीं होगी बशर्ते विद्यमान विधि विवाह के गैर-रजिस्ट्रीकरण के लिए कठोर परिणाम का उपबंध करती हो या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए बेहतर तंत्र उपलब्ध होता है ।

8.4 यह विधेयक ऐसी कुटुम्ब विधियों के अधिकार क्षेत्र का संपूरक होगा जो पहले से ही

[36] भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची ।

विद्यमान हैं और जिनका लक्ष्य विनिर्दि-ट धार्मिक/सांस्कृतिक प्रथाओं को हटाना, समाप्त करना या संशोधित करना नहीं है और ऐसी विधियां जो भारत में व्याप्त स्वीय विधियों के अधीन स्वीकार्य नहीं है । स्वीय विधियों का वि-नय व्यापक और जटिल है और इस रिपोर्ट का उद्देश्य मात्र प्रक्रियागत परिवर्तन के सिवाए कुटुम्ब विधियों में सुधार लाने के लिए शर्तें सृजित करना नहीं है जो विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से होगा ।

8.5 चूंकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविि-टि 5 में कुटुम्ब विधि के अधिकांश वि-नय आते हैं इसलिए राज्यों को इन वि-नयों पर विधान बनाने की अनुज्ञा देना ठीक नहीं होगा । सिफारिश किया गया विधेयक केवल मार्गदर्शी सिद्धांत का प्रयोजन पूरा करेगा जो संपूर्ण देश में लागू होगा किंतु स्कीम में विनिर्दि-ट संशोधन राज्यों द्वारा मस्ति-क में यह बात रखते हुए जोड़ा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न राज्यों के संदर्भ और विशि-टताओं के आधार पर विवाहों के ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिक प्रभावी माध्यम हो सकता है । ये अंतर मात्र प्रक्रियागत हो सकते हैं न कि अधि-ठायी । उपरोक्त प्रस्ताव अन्य विद्यमान विधियों के अतिरिक्त होंगे और किसी अन्य विधि या रूढ़ि के अधीन मान्यता प्राप्त किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे ।

8.6 रजिस्ट्रार जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का उत्तरदायी है, विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए भी उत्तरदायी होगा । खंड 8 यह विनिर्दि-ट करता है कि कौन विवाह को रजिस्ट्रर कराने के लिए रजिस्ट्रार को जानकारी देने का पात्र होगा । संशोधन विधेयक में यह उपबंध होना चाहिए कि यदि जन्म या विवाह या मृत्यु विनिर्दि-ट समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो रजिस्ट्रार विलंब फीस के भुगतान पर (क) 30 दिनों की अवधि के भीतर (ख) विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ही एक व-र्ा के भीतर और (ग) केवल प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही एक व-र्ा के पश्चात्, मृत्यु या जन्म रजिस्टर कर सकेगा । यह 'युक्तियुक्त कारण के बिना' विवाह के रजिस्ट्रीकरण में विलंब की दशा में प्रतिदिन पांच रुपए की शास्ति का उपबंध करता है ।

8.7 पंजाब अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2012 के ऑनलाइन पर, केंद्रीय अधिनियम में एक उपबंध पर विचार किया जा सकता है जैसाकि रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या नोटिस पर भी संबद्ध पक्षकारों को बुलाने के पश्चात् और यह तथ्य जो ऐसे विवाह के रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, सुनिश्चित करते हुए अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाह रजिस्टर में किसी विवाह की प्रविि-टि और रजिस्टर कर सकेगा जो उसकी अधिकारिता के भीतर हुआ है या यदि दोनों पक्षकारों का उसके भीतर स्थायी निवास है ।

8.8 यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में

विवाह की कोई प्रविन्टि प्ररूप या सार में गलत है या कपटपूर्ण या उचित रूप से कराया गया है तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, ऐसी शर्तों पर और ऐसी परिस्थितियां जिसमें ऐसी प्रविन्टियों को सुधारा या रद्द किया जा सकेगा, मूल प्रविन्टि में कोई परिवर्तन किए बिना हासिये में उपर्युक्त प्रविन्टि कर प्रविन्टि में सुधार या रद्द कर सकेगा और ऐसी प्रविन्टि पर हस्ताक्षर करेगा और प्रमाणित करेगा और इस प्रकार, सुधार और/या रद्दकरण की तारीख भी उपदर्शित करेगा । बशर्ते ऐसा कोई सुधार या परिवर्तन व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके प्रति हानिकर नहीं होगा ।

8.9 दिल्ली अधिनियम के उपबंध को भी केंद्रीय विधान में सम्मिलित करना उचित है कि यदि विवाह भारत से भिन्न किसी देश में संपन्न किया जाता है तो विवाह रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करेगा -

(क) कि विवाह उस देश की विधियों के अनुसार पक्षकारों के बीच जिसमें से कम से कम एक भारत का नागरिक है, संपन्न किया गया है ; और

(ख) यह कि रजिस्ट्रीकरण के समय विवाह, विदेश विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करता है ।

8.10 ग्राम पंचायत, स्थानीय सिविल निकाय और नगरपालिकाओं को जागरुकता पैदा करना चाहिए जिससे कि स्थानीय प्रशासन के पास सभी विवाहों को अनिवार्यतः रजिस्टर किया जा सके । इसके अतिरिक्त विवाह प्रमाण-पत्र पेश करना तब आज्ञापक बनाया जाए जब कोई व्यक्ति किसी आवेदन में पति/पत्नी का नाम लिखिता है ; पति या पत्नी की ओर से कोई फायदा प्राप्त करता है ; सरकारी विभागों में कोई आवेदन करता है ; कृनि ऋण, शिक्षा ऋण आदि जैसी किसी कल्याण स्कीमों का फायदा प्राप्त करता है । ऐसा एकीकृत डाटाबेस जिसमें जन्म, विवाह और मृत्यु के अभिलेख हों, को अभिलेखों के सरलता से पता लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाए ।

8.11 भारत के विधि आयोग की यह राय है कि विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण एक आवश्यक सुधार है और विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण इसकी व्याप्ति के भीतर लाकर सम्मिलित करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश करता है जिससे कि विद्यमान प्रशासनिक तंत्र रजिस्ट्रीकरण कार्यान्वित करने में समक्ष हो । इसके अतिरिक्त, आयोग यह सिफारिश करता है कि इस प्रयोजन अर्थात् जन्म और मृत्यु सहित विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए जहां तक संभव हो कागजहीन प्रलेखीकरण की प्रक्रिया का उपयोग कर पूर्ण स्वचालन प्रक्रिया अपनाई जाए ।

8.12 आयोग जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2015 में, (i) युक्तियुक्त हेतु के बिना विवाह के अरजिस्ट्रीकरण की दशा में प्रतिदिन पांच रुपए की शास्ति ; (ii) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में गलत सूचना उपलब्ध कराने ; और (iii) नाम और पता जैसी कतिपय सूचना देने से इनकारी, से संबंधित उपबंधों को प्रतिधारित करने के पक्ष में हैं ।

8.13 तथापि, हमारे देश में व्याप्त दशा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार अधिरोपित शास्ति विनिर्दि-ट तारीख तक अधिकतम एक सौ रुपए के अधीन रहते हुए की जानी चाहिए ।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार)
सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(सुरेश चंद्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. जी. नारायण राजू)
पदेन सदस्य